कार्यालय नगर निगम,देहरादून।

दूरभाष–0135–2655620, 265352, 2658204 फैक्स–0135–2651061

वेबसाइट–**www.nagarnigamdehradun.com**

ई–मेल: nagar_nigam2008@yahoo.com,nagarnigam.ddn@gmail.com

अभिरूचि की अभिव्यक्ति(E.O.I)

नगर निगम देहरादून द्वारा दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत पटेल नगर, देहरादून में निर्मित रैन बसेरा तथा हडको के सी0एस0आर0 मद् से वित्तपोषित निर्मित रैन बसेरा के रख–रखाव एवं संचालन हेतु, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.o.I) आमंत्रित की जाती है। उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत उक्त रैन बसेरों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु पंजीकृत गैर स्वयं सेवी संस्थाऐ, स्वयं सहायता समूह, चैरिटेवल ट्रस्ट एंव सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों से, जिनका रैन बसेरा के संचालन एवं रख – रखाव के कार्य में दक्ष हो, से सील बन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रैन बसेरों का संचालन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के मानकों के अनुरूप किया जाना है। रैन बसेरों के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रस्ताव पॉच वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज लिफाफे के उपर " रैन बसेरा के संचालन एवं रख–रखाव " लिखकर रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय, नगर निगम देहरादून, पिन कोड – 248001(उत्तराखण्ड) को भेजें। प्रस्ताव डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगें। प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि 20.12.2016 सांय 5.00 बजें तक होगी। डाक व्यवस्था से विलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नही होगा, तथा किसी भी प्राप्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार / अस्वीकार बिना कारण बताये कर सकता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर निगम के बेवसाइट www.nagarnigamdehradun.com उपलब्ध है, तथा संशोधन/अधतन हेतु समय–समय पर वैबसाईट का अवलोकन करें।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक संख्या – 431/project cell/NULM/2016 दिनांक –02/12/16

प्रतिलिपि :

1. मा0 मेयर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संपादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला / पायनियर को अनुमन्य दरों पर उत्तराखंड एडिशन में विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. श्री – मनिष पंत को उक्त निविदा को नगर निगम की बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट)

1. नगर निगम देहरादून द्वारा दीन दयाल अन्त्योदय योजना -- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत पटेल नगर, देहरादून में निर्मित रैन बसेरा तथा हडको के सी0एस0आर0 मद् से वित्तपोषित निर्मित रैन बसेरा के रख--रखाव एवं संचालन हेतु, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.o.I) आमंत्रित की जाती है।प्रस्ताव डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगें।
2. अभिरूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज लिफाफे के उपर " रैन बसेरा के संचालन एवं रख--रखाव " लिखकर रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय, नगर निगम देहरादून, पिन कोड -- 248001(उत्तराखण्ड) को भेजें।
3. प्रस्ताव डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगें। प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि 20.12.2016 सांय 5.00 बजें तक है।
4. डाक व्यवस्था से विलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नही होगा।
5. किसी भी प्राप्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार / अस्वीकार बिना कारण बताये कर सकता है।
6. उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत उक्त रैन बसेरों के संचालन एवं रख--रखाव हेतु पंजीकृत गैर स्वयं सेवी संस्थाऐ, स्वयं सहायता समूह, चैरिटेवल ट्रस्ट एंव सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों से, जिनका रैन बसेरा के संचालन एवं रख -- रखाव के कार्य में दक्ष हो, से सील बन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।
7. उक्त रैन बसेरों का संचालन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के मानकों के अनुरूप किया जाना है।
8. रैन बसेरों के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रस्ताव पॉच वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है। जिसमें वर्षवार व्यय के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
9. वर्तमान में रैन बसेरा का संचालन करने वाली स्थानीय संस्थाओं प्राथमिकता दी जायेगी।
10. निविदादाताओं की लघुसूची तैयार की जायेगी। लघु सूची के अनुसार प्रस्ताव हेतु अनुरोध तथा वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्राप्त प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा की जायेगी।
11. संस्था/एजेन्सी द्वारा उक्तानुार प्रस्ताव में अंकित धनराशि का दो प्रतिशत की धनराशि का सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 निविदा प्रतिभूति ''वरिष्ठ वित्त अधिकारी'' नगर निगम देहरादून में नाम देय होगी ।
12. यदि संस्था/एजेन्सी द्वारा रेन बसेरा का संचालन एंव रख रखाव अनुबन्ध की अवधि के मध्य वर्णित शर्तो का उलधन्न किया जाता है, तो आपके द्वारा बन्धक CDR/FDR को उक्त रेन बसेरा में संचालन एव रख रखाव में समायोजित किया जायेगा तथा नगर आयुक्त के आदेशनुसार आपके उपर उक्त अवधि का दण्ड वसूला जा सकता है।

रैन बसेरा हेतु के संचालन एवं रख रखाव हेतु शर्ते

13. संस्था/एजेंसी पंजीकृत एवं रैन बसेरा के संचालन में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।
14. संस्था/एजेंसी का कार्यालय एवं कार्य क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड होना चहिए।
15. संस्था/एजेंसी द्वारा डे0–एन0यू0एल0एम0 की मार्ग दर्शिका के अनुरूप होना चहिए तथा संसाधन उपलब्ध करना आवश्यक है।
16. संस्था/एजेंसी द्वारा रैन बसेरा के संचालन में मूल–भूत सुविधायें होना अति आवश्यक है।
17. संस्था/एजेंसी द्वारा रैन बसेरा मे ठहरने वाले लोगों हेतु नाम मात्र किराये के रूप में शहरी निराश्रितों से उनकी आयुनूसार आय का 1/10 या 1/20 माग एकत्रित किया जाये उपरोक्त धनराशि रैन बसेरा के सुविधओं के अनुरक्षण में किया जायेगा।
18. जो लोग उक्त धनराशि/शुल्क जमा करने में सक्षम नही है । उन्हें पूर्णताः छुट प्रदान की जायेगी ।
19. संस्था/एजेंसी द्वारा रैन बसेरा में भारत सरकार के दिशानिर्देशनुसार मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध की जायेगी ।
20. रैन बसेरा में संस्था/एजेंसी द्वारा शीतकाल में अलाव की व्यवस्था की जायेगी ।
21. संस्था/एजेंसी द्वारा रैन बसेरा में रहने वाले निराश्रितों की पूरी सुरक्षा दी जायेगी ।
22. संस्था/एजेंसी द्वारा लोगों को समाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयास किये जायेगे। तथा प्रचार एवं प्रसार भी किये जायेगे ताकि शहरी गरीब निराश्रित रैन बसेरा की ओर आ सके ।
23. संस्था/एजेंसी द्वारा समय–समय पर माननीय उच्चतम न्यायलय एवं योजना के मार्ग निर्देश के अनुसार संचालन एवं रख रखाव करना होगा ।
24. संस्था/एजेंसी द्वारा रैन बसेरा में कपड़ा बैंक की व्यवस्था भी की जायेगी ।
25. संस्था/एजेंसी के द्वारा फुटपाथ, रेलवे स्टेशन ,बस अडड्ा, अस्पताल, मंदिर, आश्रम एवं बहार रह रहे लोगों को रैन बसेरा में ले जाने हेतु प्रेरित/जागरूक किया जायेगा ।
26. आश्रय प्रबन्धक समिति दैनिक प्रबन्ध,अनुरक्षण साफ–साफई सुरक्षा एवं अनुशासन आदि किया जायेगा ।
27. संस्था/एजेंसी द्वारा महिला एवं पुरूषों कि अलग–अलग व्यवस्था की जायेगी तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से महिला वार्ड का प्रवेश द्वार अलग से किया जायेगा ।
28. गरीबों के लिये उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता सामुदायिक किचन का संचालन किया जायेगा ।
29. रैन बसेरा के सैंचालन में लाभार्थियों के स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा/प्रोत्साहन दिया जायेगा। जिसमें उनमें स्वामित्व की भावना न जाग सके ।
30. आश्रय मे शहरी समाज के निर्धन वर्ग की मूल–भूत सुविधाओं/सेवाओं युक्त आश्रय उपलब्ध कराना है। ये आश्रय, शहरी निराश्रितों के लिए स्थायी तौर पर हर मौसम के चौबीसों घण्टे उपलब्ध होगें।

मूल्यॉकन के मानदंड

31. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट) में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन निमनानुसार किया जाना है:–

क्रमांक	पात्रता मानक	अंक
1.	संस्था / एजेंसी की वैधानिक स्थिति/ पंजीकृत कार्यालय	10
2.	तकनीकी क्षमता – रैन बसेरा के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्यानुभव कम से कम तीन वर्ष – 20 तीन साल से उपर पॉच तक का अनुभव – 10 अतिरिक्त अंक	30
3.	संचालन एवं रखरखाव हेतु रणनीति	15
4.	अभिनव पहल(कपडा बैक,सामाजिक सुरक्षा)	20
5.	तीन साल की आडिट रिर्पोट – 10 (तीन साल से उपर 5 अंक अतिरिक्त)	15
6.	वित्तीय क्षमता (10 लाख प्रति वर्ष)	10
	कुल	100

(नोट – दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के भारत सरकार के आवास एंव शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय के दिशार्निदेशानुसार लागू किया जायेगा , तदानुसार प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार के आवास एंव शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय के दिशार्निदेशानुसार का अवलोकन करने हेतु www.nulm.gov.in पर देखें)